भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3257

उत्तर देने की तारीख: 09.12.2019

सर्व शिक्षा अभियान

†3257. श्री कुनार हेम्ब्रमः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में धनराशि संबंधी कोई बाधा आ रही है;

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार या अन्य किसी राज्य सरकारों ने इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि के आवंटन की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ड.) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) 2017-18 तक कार्यात्मक था। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 1 अप्रैल, 2018 से एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना- समग्र शिक्षा शुरू की है, जिसमें तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को आमेलित किया गया है। समग्र शिक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों के उन्नयन, मौजूदा विद्यालयों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण के लिए अनुकूल अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए प्रत्येक विद्यालय को कंपोजिट स्कूल अनुदान का प्रावधान करने जैसे विभिन्न अंत:क्षेपों के लिए सहायता देकर बल दिया जाता है।

2016-17 से 2017-18 तक पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान और 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 30.06.2019 तक प्राथमिक स्तर पर

8343 स्कूल भवनों, 76594 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण, 6255 पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था, लड़कों के लिए 31903 शौचालयों के निर्माण, लड़कियों के लिए अलग से 23623 शौचालयों और दिव्यांगों के लिए 10286 शौचालयों के निर्माण की सूचना दी है।

प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्कूल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण सहित विभिन्न अंतःक्षेपों के लिए उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर समग्र शिक्षा के अधीन वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएण्डबी) तैयार किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्कीम के कार्यक्रम और वित्तीय मानकों, बजट संसाधनों की उपलब्धता और वास्तविक व वित्तीय प्रगति के अनुसार इन प्लानों/अनुमानों का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए पूर्व एसएसए योजना तथा वर्ष 2018-19 के लिए समग्र शिक्षा के तहत पश्चिम बंगाल सहित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को जारी किया गया केन्द्रीय अंश संलग्नक पर दिया गया है।

* * * *

<u>संलग्नक</u>

'सर्व शिक्षा अभियान' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कुनार हेम्ब्रम द्‌वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3257 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित संलग्नक

पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए और समग्र शिक्षा (प्रारंभिक घटक) के तहत वर्ष 2018-19 के लिए पश्चिम बंगाल सहित कुल दिया गया केन्द्रीय हिस्सा दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	एसएसए के तहत जारी केन्द्रीय हिस्सा		समग्र शिक्षा (प्रारंभिक घटक)
		2016-17	2017-18	2018-19
1	अंडमान और निकोबार	479.14	1945.53	1401.96
2	आंध्र प्रदेश	63302.18	70431.00	86308.00
3	अरुणाचल प्रदेश	19956.64	23022.07	29978.32
4	असम	87652.30	123584.00	143658.61
5	बिहार	270688.45	255797.00	296059.04
6	चंडीगढ़	3333.56	9265.50	6723.56
7	छत्तीसगढ़	59262.77	67412.85	72117.00
8	दादर और नागर हवेली	1068.37	5476.54	3381.89
9	दमन और दीव	300.00	1038.57	522.87
10	दिल्ली	8306.20	10976.90	10059.38
11	गोवा	869.11	862.60	960.88
12	गुजरात	77740.52	65046.00	63671.14
13	हरियाणा	32000.88	36355.00	33724.54
14	हिमाचल प्रदेश	12825.46	30874.00	31562.77
15	जम्मू और कश्मीर	107250.05	153797.98	139981.44
16	झारखंड	50945.73	58984.54	67990.00
17	कर्नाटक	54495.51	54882.00	55825.00
18	केरल	11316.74	13680.00	20646.99
19	लक्षद्‌वीप	239.87	406.52	223.56
20	मध्य प्रदेश	154455.08	173814.00	199290.74
21	महाराष्ट्र	60369.65	64232.00	76164.16
22	मणिपुर	4405.31	18377.00	16775.73
23	मेघालय	20067.01	33579.51	21977.66
24	मिजोरम	10934.31	12000.34	11205.68
25	नागालैंड	10725.35	11717.00	11136.12
26	ओडिशा	70423.00	86612.00	104898.99
27	पुडुचेरी	304.68	622.73	638.84
28	पंजाब	30002.69	31665.00	36510.00

29	राजस्थान	182578.48	198973.00	229231.00
30	सिक्किम	3479.24	5684.35	4665.48
31	तमिलनाडु	82111.30	86644.00	106138.15
32	तेलंगाना	41776.09	44244.72	54901.43
33	त्रिपुरा	19190.95	20220.38	20284.88
34	उत्तर प्रदेश	505433.98	424980.68	447268.82
35	उत्तराखंड	25268.98	62499.00	44738.75
36	पश्चिम बंगाल	82185.33	89657.00	103052.00
	कुल	2165744.89	2349361.32	2553675.39

*****